न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः— अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 30/2020

जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2020/00110

वादी	बनाम	प्रतिवादी
वीरमाराम पुत्र माघाराम जाति जाट निवासी मेराज की बेरी तहसील पाटोदी व जिला बालोतरा		1.राणाराम पुत्र खीयाराम 2.जेठाराम पुत्र खीयाराम 3.मोतीराम पुत्र माघाराम 4.पुरखाराम पुत्र चौखाराम 5.लूम्बाराम पुत्र चौखाराम 6.वगताराम पुत्र चौखाराम 7.अणसी बेवा चौखाराम 8.रूपाराम पुत्र रूगनाथराम के वारिसान 8/1.हीराराम पुत्र रूपाराम 8/2.गंगाराम पुत्र रूपाराम 8/3.मूली पुत्री रूपाराम जाति जाट निवासी मेराज की बेरी तहसील पाटोदी 9.खम्मादेवी पुत्री करनाराम पत्नि चूनाराम 10.खरताराम पुत्र धन्नाराम 11.चूनाराम पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी फलसुण्ड तहसील पोकरण जिला जैसलमेर 12.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पाटोदी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति

1.श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता वादी

2.श्री पुनमाराम चौधरी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 09

3.श्री रूगाराम कड़वासरा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 4 से 7,8/1,8/2

4.प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व 8/3 से 12 एकतरफा

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर

(S.D.O.) बालोतरा

निर्णय

दिनांक– 27/10/2025

संक्षिप्त में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि सरहद मौजा मेगराज की बेरी तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 48,49,49/844,115,116,424/117 कुल रकबा 260.03 बीघा भूमि के संबंध मे प्रस्तुत वाद दिनांक 05.03.2025 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार पाटोदी को मौके पर जाकर वादग्रस्त भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार पाटोदी द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। तदनुसार माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री जारी की जानी उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा मेगराज की बेरी तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 48,49,49/844,115,116,424/117 कुल रकबा 260.03 बीघा भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

क्र.सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	ख.सं.	क्षेत्रफल (हैक्ट.)	किस्म	बरंग
1.	वीरमाराम पुत्र माधाराम कौम जाट सा.देह खातेदार	मेगराज की बेरी	115 424/117 424/117	0.0324 2.5900 1.5887	गै.मु. बा.दो. बा.दो.	नक्शे मे दर्शितानुसार
2	खम्मादेवी पुत्री करनाराम कौम जाट सा.देह खातेदार हाल–चिमाणियो की ढाणी, कुंपालिया रहन–एस.बी.आई पाटोदी	मेगराज की बेरी	424/117	7.0186	बा.दो.	नक्शे मे दर्शितानुसार
3	लूम्बाराम,पुरखाराम,वगताराम पि.चौखाराम अणसी पत्नि चौखाराम अणसी पत्नि चौखाराम हि.5682/25000 गंगाराम हीराराम पि. रूपाराम हि.5682/25000 मोतीराम लिखमाराम पि. माधाराम हि.6818/25000 राणाराम जेठाराम पि. खियाराम हि.3409/25000 चूनाराम खरताराम बाबूराम अनाराम पि.धनाराम हि. 3409/25000 कौम जाट सा.देह खातेदार	मेगराज की बेरी	116 117 424/117 48 49 49/844	0.1376 0.1781 23.6785 0.0647 6.2483 0.5747	गै.मु. बा.दो. बा.दो गै.मु. बा.दो. बा.सो.	नक्शे मे दर्शितानुसार

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

तहसीलदार,पाटोदी को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामान्तकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें,संलग्न नामान्तकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित करे,राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रुप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना –अपना वहन करें ।

27/10/2025

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 27/10/25 को लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

27/10/2025

सहायक कलक्टर
एस.डी.ओ.)बालोतरा

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

मूलवाद में अंतिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः— अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :— 30/2020
जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2020/00110

वादी	बनाम	प्रतिवादी
वीरमाराम पुत्र माघाराम जाति जाट निवासी मेराज की बेरी तहसील पाटोदी व जिला बालोतरा		1.राणाराम पुत्र खीयाराम 2.जेठाराम पुत्र खीयाराम 3.मोतीराम पुत्र माघाराम 4.पुरखाराम पुत्र चौखाराम 5.लूम्बाराम पुत्र चौखाराम 6.वगताराम पुत्र चौखाराम 7.अणसी बेवा चौखाराम 8.रूपाराम पुत्र रूगनाथराम के वारिसान 8/1.हीराराम पुत्र रूपाराम 8/2.गंगाराम पुत्र रूपाराम 8/3.मूली पुत्री रूपाराम जाति जाट निवासी मेराज की बेरी तहसील पाटोदी 9.खम्मादेवी पुत्री करनाराम पत्नि चूनाराम 10.खरताराम पुत्र धन्नाराम 11.चूनाराम पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी फलसुण्ड तहसील पोकरण जिला जैसलमेर 12.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पाटोदी

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धाराः—88,53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर :30/2020

निर्णय दिनांक :— 27.10.2025

वादी की ओर से श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 09 की ओर से श्री पुनमाराम चौधरी अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी संख्या 4 से 7,8/1,8/2 की ओर से श्री रूगाराम कड़वासरा अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व 8/3 से 12 एकतरफा में इस वाद में आज तारीख 27.10.2025 को श्री अशोक कुमार

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा,

(नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:–वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 27.10.2025 मे अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से धोषित की जाती है। तहसीलदार पाटोदी को आदेश दिये जाते है,कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 27.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(अशोक कुमार) 27/10/2025
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादीगण	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4...........रूपये पर प्लीडर की फीस 5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामिल	————	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2.अर्जी के लिए स्टाम्प 3.प्लीडर की फीस 4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय 5.आदेशिका की तामील 6.कमिश्नर की फीस	————
जोड़	———	जोड़	————

27/10/2025
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा